

प्रेषक,

संख्या- 2138 /15-17-89-03/56/87

श्री सतगुरु गौतम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सेक्रेटरी,
सेनूल्स बोर्ड आफ सेक्रेटरी स्कूलें,
2/19, संत विहार इंजिनरी रोड,
दौर्याबाग, नई दिल्ली।

विषय: 17 अनुसूचक

तकाल: दिनांक 26 फरवरी, 1989

विषय:- दीप मेमोरियल पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद को अनापीत प्रमाण पत्र दिए जाने के संबंध में।

महोदय,

मुझे यह ज्ञान कि निदेश हुआ है कि दीप मेमोरियल पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद को सेनूल्स बोर्ड आफ सेक्रेटरी स्कूलें, नई दिल्ली से सम्बन्धित प्रदान किए जाने में इस राज्य सरकार को निम्नीतिगत प्रतिक्रिया/ शर्तों के अधीन आपीत नहीं है :-

1. सामान्य प्रतिक्रिया

- 1- विद्यलय की प्रबन्धा समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 2- विद्यलय में जो से का 10 प्रतिशत स्थान भेधापी और पिछड़े वर्ग निरक्षर आय वर्ग के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे तथा उनसे उपरोक्त माध्यमिक शिक्षा परीक्षा/ वैदिक शिक्षा परीक्षा द्वारा संयोजित विद्यलयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित स्कूल से अधिक शूलक नहीं लिया जायेगा।
- 3- संस्था को राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा।
- 4- संस्था के सभी अध्यापक/ अध्यापिकरें प्राशिक्षित होंगे। संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय महायुक्तप्राप्त विभागा संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूचक पैनमानों तथा अन्य भत्तों से कम पैनमान सर्व अन्य भत्ते नहीं दिए जायेंगे।
- 5- राज्य सरकार अथवा शिक्षा विभाग द्वारा जो भी अक्षेप निर्मित किए जायेंगे, उनका पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा।
- 6- विद्यलय में अनुशासन तथा शिक्षा का स्तर उपलब्धित का रखा जायेगा।

(Handwritten signature)

2. विशेष प्रतिक्रिया

- 1- विद्यलय की प्रबन्धा समिति रजिस्टर्ड होनी तथा समय-समय पर निम्नांकित आंक नवीनीकरण भी कराया जायेगा।
- 2- विद्यलय में प्रत्येक कक्षा व अनुभाग के लिए उचित आकर के कक्षा-का, दो वैकीलक विभाग का, दो प्रयोगशाला का तथा चार प्रशासनिक का की व्यवस्था की जायेगी।
- 3- कर्मचारियों की सेवा-शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सम्बन्धितप्राप्त अनाहतकीय उत्तर माध्यमिक विद्यलयों के कर्मचारियों को अनुसूचक सेवा नियुक्ति-क लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 4- विद्यलय का लेखा-बोका निर्धारित प्रपत्रों/ फीकडों में रखा जायेगा।

2- उक्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी समय उक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त "अनापीत प्रमाण पत्र" वापस ले लिया जायेगा।

भारीय,

श्री सतगुरु गौतम
संयुक्त सचिव।

संख्या- 2138 /15-17-89-तदीदनांक

प्रतिरूपि निम्नीतिगत के सुपनार्थ प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उपरो, शिरीपर कार्यलय, तकाक।
- 2- मन्त्रीय उप शिक्षा निदेशक, मेरठ।
- 3- प्रबन्धाक, दीप मेमोरियल पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद।
- 4- निरीक्षक, अंग्रेज भारतीय विद्यलय, उपरो, तकाक।
- 5- शिक्षा विद्यलय निरीक्षक, गाजियाबाद।

आजा है,

श्री सतगुरु गौतम
संयुक्त सचिव।

(Handwritten signature)